22.10.19 वादिनी वादी उपस्थित। वादिनी वादी के प्रतिवादी सं. 1 व 2 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दायर किया है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादग्रस्त खसरा नं. के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं। उन्हें सम्मन-नोटिस बाद-बाद भेजने लायक नहीं है अतः उन्हें बिना सुनवाई कार्यवाही अग्रिम में लाई जाती है। वादिनी वादी के विरुद्ध दिनांक 15.10.19 को दावा मात्र खारिज किया जाता है।

इसके पश्चात् न्यायालय पूर्वतः अवलोकन किया जिससे वादिनी का यह दावा स्वीकार योग्य पाया जाता है। स्वीकार किया जाकर निर्धारित शुल्क से लिखापढ़ी एवं सुनवाई बाबत शामिल फाइल किया गया। पश्चात वादिनी वादी तरफ तलबीना सहित इस्तगासा पेश करने बाबत रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2019.12.03 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested